कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 2686 /12-1 मसूरी, दिनांक- 13 /02/ 2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल।

विषय :- **जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा धनोल्टी के अन्तर्गत क्यारी से मसरास मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 12.222 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग का प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ :- आपके कार्यालय का पत्रांक-2654/21सी०, दिनांक-21.12.2023 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-2999/12-1, दिनांक- 16-01-2021।

महोदय,

इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय कमियां इंगित की गयी है, जिसका निराकरण आपके द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसका परीक्षण किया गया, परीक्षणोपरान्त निम्नवत कमियां पायी गयी है :-

क्र०सं०	प्रभाग द्वारा इंगित कमियां	टिप्पणी
1.	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वांछित 12.222 है0 वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम क्यारी में 24.444 है0 सिविल सोयम भूमि का चयन किया गया है, परन्तु इससे सम्बन्धित सूचना ऑनलाईन पार्ट–I में अंकित नहीं की गयी है। यह भूमि ग्राम क्यारी सिविल सोयम के किस खाते/खसरे के अन्तर्गत है, से सम्बन्धित दस्तावेज भी प्रस्ताव में चस्पा नहीं किये गये हैं।	बिन्दु संख्या 1 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा खतौनी की नकल प्रस्तुत की है, जो कि एक छायाप्रति है एवं अस्पष्ट है। यह किस अधिकारी द्वारा जारी की गयी है, भी स्पष्ट नहीं है एवं ना ही सक्षम अधिकारी यथा तहसीलदार/उपजिलाधिकारी/जिलाधिकारी की संस्तुति संलग्न की गयी है।
2.	ऑनलाईन पार्ट–I के पैरा–B-I में अंकित प्रस्ताव इस परियोजना से किस प्रकार सम्बन्धित है, स्पष्ट करें।	इसका निराकरण प्रयोक्त अभिकरण द्वारा नहीं किया गया है, अपितु लिखा गया है कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता है।
3.	प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया गया है कि उक्त मोटर मार्ग से ग्राम–क्यारी, खार्सी, बिच्छु एवं मसरास के ग्रामवासी लाभान्वित होंगे, परन्तु VLC proceeding में केवल ग्राम पंचायत क्यारी की उपस्थिति शीट प्रस्ताव में चस्पा की गयी है। ना ही इनका उल्लेख ऑनलाईन पार्ट–I के Village wise breakup में किया गया है।	बिन्दु संख्या 3 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ग्राम क्यारी, ख्यार्सी , बिच्छु, मसरास अंकित कर दिया गया है , किन्तु वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत VLC proceeding संलग्न नहीं की गयी है।
4.	प्रस्ताव में संलग्न Cost-Benefit Analysis में NPV, Eco class III के आधार पर आंकलित की गयी है, जो कि सही नहीं है।	बिन्दु संख्या 4 में अवगत कराना है कि एन०पी०वी० की पुनरीक्षित दरों के आधार पर एन०पी०वी० धनराशि का आंकलन इस कार्यालय से प्राप्त कर Cost Benefit Analysis को अद्यतन करना सुनिश्चित करें।
5.	प्रस्ताव में अपूर्ण मक डम्पिंग प्लान संलग्न किया गया है। निम्नांकित बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए मक डम्पिंग प्लान तैयार कर संलग्न करने का कष्ट करें :– i. Calculation of muck to be generated. Swell factor has to be applied. ii. Quantity of muck to be utilized in the project activities. iii. Balance quantity of muck, which requires	मक डम्पिंग योजना में निम्नलिखित बिन्दु को संज्ञान में लाना आवश्यक है :- i. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में संलग्न मक डम्पिंग प्लान में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुरूप सुधार नहीं किया गया है। ii. मक गणना में Swelling factor - 10 प्रतिशत

		disposal/management plan. iv. Carriage of muck from the muck generation site to the dumping site. v. Development of dumping site- construction of retaining walls and other structures as per requirement of the site. The objective is to completely stop rolling down of the muck. vi. Rehabilitation of dumping site like levelling, planting of grass, shrubs and tree species.	ली गयी है, यह किस प्रकार से उचित है, प्रयोक्ता अभिकरण अवगत करायें। iii. मक गणना हेतु कटिंग हेतु चट्टान का ढलान 40° लिया गया है, किन्तु प्रस्ताव में चस्पा की गयी भूगर्भीय आख्या के बिन्दु 2 में स्पष्ट लिखा गया है कि वन भूमि में ढलान 60° तक अथवा अधिक है। iv. मक डम्पिंग हेतु 4 नाप स्थलों का चयन किया गया है, किन्तु इसका लैण्ड शैड्यूल में उल्लेख नहीं है।
6.		प्रस्ताव में मोटर मार्ग हेतु दो समरेखणों पर विचार किया गया है, परन्तु उनका तुलनात्मक विवरण निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में नहीं है।	बिन्दु संख्या 6 का निराकरण कर प्रयोक्ता अभिकरण तुलानात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है।
7.		परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में नहीं है।	बिन्दु संख्या 7 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग द्वारा प्रेषित गणना सूची संलग्न की गयी है।
8.		प्रश्नगत् मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित वन भूमि मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के 10.00 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत पड़ता है, अतः उक्त प्रकरण में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की अनापत्ति आवश्यक है।	बिन्दु संख्या 8 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी प्रस्ताव में इंगित कमियों का पूर्णत: निराकरण नहीं किया गया है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण परियोजना के प्रस्ताव में नियमों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। आपके द्वारा बार-बार बिना कमियों के निराकरण किये प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के अनुसार वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों में कार्यवाही की जा रही है, जिस हेतु उक्त प्रस्ताव को ''परिवेश 2.0'' पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना उचित होगा। अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में यथाशीघ्र कार्यवाही करते हुए उपरोक्त् कमियों का निराकरण कर प्रस्ताव '' **परिवेश 2.0**'' के माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। प्रकरण में किसी भी प्रकार के विलम्ब हेतु लोक निर्माण विभाग उत्तरदायी होगा।

(वैभव कुमार सिंह)
उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संख्या : 2686 / 12-1, तद् दिनांकित

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 8वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी।

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी